



**मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**पर्यावरण परिषद, ई-5, अद्दा कॉलोनी, भोपाल -16**

क्रमांक

/मुप्रनिबो/ क्या.शाखा / 2017

भोपाल, दिनांक

// कार्यालय आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्योग विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-14/12/अ-73, दिनांक 13/04/17 के द्वारा राज्य शासन के भण्डार क्य तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम-8 के संबंध में प्रसारित स्पष्टीकरण के अनुसार सार्वजनिक खरीद महानिदेशालय (DGS&D) जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का अंग है, द्वारा सामान्य उपयोग की सामग्री के क्य एवं सेवाओं के उपार्जन हेतु गवर्नर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर कार्यालयीन ऑटोमेशन उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उपकरण एवं सेवाएं इत्यादि उपलब्ध हैं, जिन्हें ऑन लाईन प्रदाय आदेश जारी कर क्य किया जा सकता है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-11-75/2016/1/9, दिनांक 30/08/17 के द्वारा भी तत्संबंध में विभिन्न शासकीय विभागों में सामग्री का क्य जेम (गवर्नर्मेंट ई-मार्केट प्लेस) से करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।


अतः शासन की मंशा के अनुरूप राज्य शासन के भण्डार क्य तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 एवं बोर्ड की 'क्य मार्गदर्शिका-2005' में दिये गये प्रावधानानुसार म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्तमान में कोटेशन/टेण्डर इत्यादि के माध्यम से सम्पादित की जा रही क्य प्रक्रियाओं के साथ- साथ जेम पोर्टल के माध्यम से भी क्य की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था तत्काल प्रमाण से लागू की जाती है।

क्रमांक २५५/मुप्रनिबो/ क्या.शाखा / 2017

(ए.ए.भिंड्रा)  
 सदस्य सचिव  
 भोपाल, दिनांक 13/09/17

प्रतिलिपि :-

1. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/ प्रयोगशाला प्रभारी, मो प्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अधीक्षण यंत्री, (वित्त), मो प्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी, आई.टी. शाखा, मो प्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं बोर्ड की वेब साईट में अपलोड करने हेतु।



(ए.ए.भिंड्रा)  
 सदस्य सचिव